भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर

सूचना प्रदाता नीति

जबकि :

- भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर एक सार्वजनिक एवं सशक्त "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" है;

- संस्थान कई पणधारियों से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक, संस्थान को अपना विज़न एवं मिशन प्राप्त करने के लिए मदद करने में महत्वपूर्ण है;

- संस्थान अखंडता और नैतिकता व्यवहार के उच्च मानकों को बनाए रखने के मूल मंत्र पर स्थापित है और इसके सभी कार्यों को इस मूल मंत्र के अनुरूप होने का प्रयास करता है ।

- संस्थान भारत के संविधान में निहित लोक जवाबदेही के सिद्धांतों और भारत में सार्वजनिक संस्थानों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानून द्वारा शासित है और सख्ती से इनका पालन करता है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 शामिल हैं ।

1. कार्य क्षेत्र

यह नीति संस्थान के सभी संकाय, कर्मचारियों, छात्रों, कार्यपालक शिक्षा कार्यक्रम प्रतिभागियों, और संस्थान के अन्य पणधारियों पर लागू होगी और इन्हें सम्मिलित करेगी । संकाय में स्थायी, अनुबद्ध, अभ्यागत और अतिथि संकाय सदस्य शामिल हैं । कर्मचारियों में स्थायी और अनुबंध कर्मचारी और बाहय संसाधित कर्मी शामिल हैं । अन्य पण्धारियों में शामिल हैं सेवानिवृत्त संकाय और कर्मचारी,

भूतपूर्व छात्र, छात्रों के माता-पिता, आधिकारिक आगंतुक, विक्रेता, परामर्शदाता, दानकर्त्ता और संस्थागत सहयोगी ।

यह नीति विशेष रूप से किसी भी सूचना के प्रकटन को शासित करती है जो (i) सार्वजनिक हित में है और (ii) प्रकटन करने वाले व्यक्ति की उचित धारणा में (अर्थात् सूचना प्रदाता) संस्थान से संबंधित शिक्षण क्षेत्र, विभाग, केंद्र और गतिविधियों में, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक 'गंभीर उल्लंघन' को दर्शाते हैं :

अ. शैक्षणिक या व्यवसायिक कदाचार
आ. आपराधिक गतिविधि
इ. किसी भी कानून या कानूनी दायित्वों के अनुपालन में विफलता
ई. विनियम या अध्यादेश या संस्थान के किसी अन्य लागू नियमों के अनुपालन में विफलता
उ. कार्यालय कार्रवाई में अक्षमता या नैतिक उल्लंघन
ए. भ्रष्टाचार या रिश्वत और संबंधित विशेष पक्षपात की मांग/ पेशकश
ऐ. स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालना
ओ. पर्यावरण को नुकसान पहुँचाना
औ. उपरोक्त में से कोई कार्य करना, छिपाना या गलत तरीके से प्रस्तुत करने का कोई प्रयास ।

प्रकटित की जा रही सूचना और कोई भी लगाया जा रहा आरोप, काफी हद तक सत्य होना चाहिए और इस मामले में आगे की प्रगति को सक्षम करने के लिए संभाव्य सीमा तक सत्यापन योग्य विवरण होना चाहिए । अज्ञात/छद्म नाम से संप्रेषण पर विचार नहीं किया जाएगा ।

2. प्रक्रिया और समय सीमा

किसी भी व्यक्ति (सूचना प्रदाता के रूप में इस नीति के दायरे में आने वाला) को सद्भाव से संस्थान के संबंध में किसी भी 'गंभीर उल्लंघन' संबंधी सूचना के तुरंत प्रकटन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । ऐसी सूचना का प्रकटन whisteblower@iimb.ac.in को इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से लिखित में किया जा सकता है ।

मंडल के वरिष्ठतम संकाय सदस्य 'अभिहित व्यक्ति' उपरोक्त ई-मेल को परिचालन करने का जिम्मेदार होगा । मंडल में संकाय सदस्यों के पद रिक्त होने की स्थिति में मुख्य सतर्कता अधिकारी इस कार्य का निर्वहन करेगा । ऐसी सूचना का प्रकटन 'अभिहित व्यक्ति' को मौखिक रूप से भी किया जा सकता है । ऐसे मौखिक वर्णन की स्थिति में, इसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और रिकॉर्डिंग के दिनांक और समय को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए 'अभिहित व्यक्ति' और सूचना प्रदाता दोनों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ।

किसी भी 'गंभीर उल्लंघन' से संबंधित सूचना के प्रकटन के सभी मामलों में, 'अभिहित व्यक्ति' मामले की प्रारंभिक समीक्षा करेगा और यह तय करेगा कि किसी आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे संस्थान के संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना चाहिए या नहीं [संस्थान की सेवा नियम का 9.12 देखें] । इस तरह के प्रेषण पर, संस्थान के संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी मामले के तथ्यों की समीक्षा करेंगे और यदि आवश्यक हुआ, तो मामले की जाँच करने और यदि कोई हो, तो कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक जाँच समिति की गठित करेंगे । जाँच समिति का गठन करते समय अनुशासनिक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सदस्यों को संबंधित मामले में शामिल मुद्दों की प्रकृति को संबोधित करने की आवश्यक क्षमता और विशेषज्ञता प्राप्त हो ।

यदि सूचना मंडल के किसी सदस्य के खिलाफ है, तो 'अभिहित व्यक्ति' किसी प्रारंभिक समीक्षा किए बिना मंडल के अध्यक्ष को मामल प्रेषित करेगा ।

संबंधित समय सीमा

कार्रवाई प्रक्रिया	समय सीमा
'अभिहित व्यक्ति' द्वारा ईमेल की पावती	48 घंटे के अंदर
प्रारंभिक समीक्षा और 'अभिहित व्यक्ति' द्वारा संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रेषण	पावती की तारीख से 7 कार्य दिवसों के अंदर
'अभिहित व्यक्ति' द्वारा सूचना प्रदाता को प्रेषण पर जानकारी	प्रेषण की तारीख से 2 कार्य दिवसों के अंदर
संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा समीक्षा, जांच, कोई पूछताछ, और कार्यवाही का औपचारिक समापन	पावती की तारीख से 90 दिनों के अंदर
'अभिहित व्यक्ति' द्वारा सूचना प्रदाता को अनुशासनिक प्राधिकारी के निर्णय पर जानकारी	कार्यवाही पूरी होने की तारीख से 2 कार्य दिवसों के अंदर
अनुशासनिक प्राधिकारी के निर्णय पर सूचना प्रदाता द्वारा कोई अपील	निर्णय की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर दायर किया जाना चाहिए । ऐसी कोई अपील संस्थान के संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर की जानी चाहिए [संस्थान के सेवा नियमों का 9.12 देखें]

3. आश्वासन

सार्वजनिक जवाबदेही के बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए, संस्थान और उसके निर्णयकर्ता प्राधिकारियों पर निम्नलिखित शर्तरहित आश्वासन बाध्यकारी होगें :

ए) संस्थान किए गए सभी प्रकटन और सूचना प्रदाता की पहचान को अत्यंत गोपनीय रखेगा ।

बी) संस्थान सूचना प्रदाता के प्रति न तो कोई प्रतिकूल कार्रवाई करेगा, न ही सूचना प्रदाता पर किसी भी रूप में अत्यचार की अनुमति देगा ।

सी) संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि सिर्फ इस प्रकटन के आधार पर सूचना प्रदाता पर न तो अत्यचार किया जएगा या न तो दंडित किया जएगा ।

डी) 'अभिहित व्यक्ति' प्रकटन और संस्थान द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई पर गवर्नर मंडल को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

ई) संस्थान ऐसे 'गंभीर उल्लंघन' को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर गवर्नर मंडल को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ।